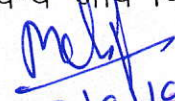
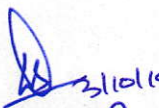


एन0एच0-9 से गालन्द में प्रस्तावित कूड़ाघर तक अपर गंग नहर की मील 106.775 से 107 तक (कि0मी0 170.84 से कि0मी0 171.2) बांयी पटरी ग्राम मसूरी, तहसील गाजियाबाद, जनपद गाजियाबाद एवं अपर गंग नहर की मील 107 से 107.984 तक (कि0मी0 171.2 से कि0मी0 172.775 तक) बांयी पटरी ग्राम पिपलेहड़ा, तहसील धौलाना, जनपद हापुड़ पर एप्रोच रोड के निर्माण कार्य की संरक्षित वन भूमि के सम्बन्ध में 10 कि0मी0 की परिधि में कोई वन्य जीव विहार न होने सम्बन्धी

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एन0एच0-9 से गालन्द में प्रस्तावित कूड़ाघर तक अपर गंग नहर की मील 106.775 से 107 तक (कि0मी0 170.84 से कि0मी0 171.2) बांयी पटरी ग्राम मसूरी, तहसील गाजियाबाद, जनपद गाजियाबाद संरक्षित वन भूमि 0.144 हेक्टेयर एवं अपर गंग नहर की मील 107 से 107.984 तक (कि0मी0 171.2 से कि0मी0 172.775 तक) बांयी पटरी ग्राम पिपलेहड़ा, तहसील धौलाना, जनपद हापुड़ की संरक्षित वन भूमि 0.6716 हेक्टेयर कुल 0.8156 हेक्टेयर भूमि संरक्षित स्थल हेतु गैर वानिकी कार्य प्रस्तावित है। उक्त स्थल के 10 कि0मी0 की दूरी में कोई भी वन्य जीव विहार नहीं है।


(माकेश कुमार सिंह)
अधिसूची अभियन्ता (जोन-5),
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।


(दीपक अग्रवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़
प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग
हापुड़


(दीपक अग्रवाल)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
गाजियाबाद।